Those in favour may say "Aye".

Some hon. Members: "Aye".

Mr. Speaker: Those against may say "No".

Several hon. Members: No.

Mr. Speaker: I think the "Noes" have it.

Some hon. Members: The "Ayes" have it.

Mr. Speaker: Let the lobbies be cleared. (*Interruption*). There can be no point of order when the lobbies are being cleared.

The lobbies have been cleared. I shall now put the motion to the vote of the House.

श्री मधु लिमये : मेरा निवेदन यह है कि आपने जब यह फरमाया कि "लाबीज साफ की जायें" तो उसका उद्देश्य यह है कि कोई गैर सदस्य या पराया व्यक्ति सदन में या लाबी में न रहे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की 88वीं धारा को आप पढ़ लें और इसके साथ-साथ 74वीं और 75वीं धारा को भी । एक व्यवस्था का प्रश्न तो यह है कि इस सदन में कोई भी जो गैर सदस्य है वह मतदान के समय नहीं बैठ सकता है । 88वीं धारा में कहा गया है कि जो गैर सदस्य हैं, राज्य सभा का मन्त्री हो या एटर्नी जनरल हो वह इस सदन की कार्रवाई में हिस्सा तो ले सकता है या भाषण दे सकता है लेकिन जब कार्रवाई केवल मतदान की हो तो मतदान के समय वह हिस्सा नहीं ले सकता है । इस वक्त और कोई कार्रवाई सदन के सामने नहीं है और न बाद में कोई होने जा रही है । इसलिए मेरा आक्षेप है कि प्रधान मंत्री यहां इस वक्त नहीं बैठ सकतीं ।

दूसरा व्यवस्था का प्रश्न सरकार की संवैधानिक और कानूनी जो स्थिति है उसके बारे में है । संविधान की धारा 74 में कहा गया है कि प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का प्रमुख होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : वह इस वक्त नहीं आता ।

श्री मधु लिमये : आता है । हां, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो बात दूसरी है । धारा 75 में कहा गया है कि "मन्त्रिमण्डल सामुदायिक रूप से जिम्मेदार रहेगा इस सदन के प्रति ।" एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चालीस सालों से इंग्लैण्ड में यह परम्परा रही है कि जो छोटा सदन है अर्थात् हाउस आफ कामन्स जो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी का सदस्य प्रधान मन्त्री बन सकता है । कर्जन और बाल्डविन का मामला आप जानते हैं । सन् 1940 में जब चैम्बरलेन ने इस्तीफा दिया तो वह चाहते थे कि हैलिफैक्स प्रधान मन्त्री बनें । लेकिन हैलिफैक्स ने कहा कि चूंकि मैं हाउस आफ लार्ड्स का सदस्य हूं इसलिये मैं नहीं बन सकता । तब चर्चिल को प्रधान मन्त्री बनाया गया । अलेक डगलस ह्यूम जब आये तब उन को भी हाउस आफ लार्ड्स से इस्तीफा देकर साधारण व्यक्ति बनना पड़ा । उसके बाद ही वह प्रधान मन्त्री बने ।

मेरा निवेदन है कि इस कारण से इस सरकार का कोई कानूनी या संवैधानिक अस्तित्व नहीं है जो जब तक कि इस सदन का सदस्य प्रधान मन्त्री नहीं बनता । इन्दिरा जी बन सकती हैं । उनसे मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस सदन की सदस्य बन कर वह आयें और प्रधान मन्त्री बनें । यह इसलिये व्यवस्था का प्रश्न बन जाता है कि इस सरकार का कानूनी और संवैधानिक अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस सदन का सदस्य प्रधान मन्त्री नहीं बनता है ।

दूसरी बात धारा 88 के अन्तर्गत है । जब कार्रवाई केवल मतदान की है, और कोई कार्रवाई इस वक्त नहीं है और न आगे होने वाली है आज के दिन, तब इस समय जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं वह न मतदान की कार्र-

वाई में हिस्सा ले सकते हैं और न इस सदन में बैठ सकते हैं।

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Order, order. I do not require any other discussion on it.

माननीय सदस्य ने जो धारा 74 और 75 की बात कही है वह यहां लागू नहीं होती। और वह मिसाल लेते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जो मिनिस्टर जिस हाउस का मेम्बर होता है उसी में भाग ले सकता है, दूसरे में नहीं। लेकिन यहां वह चीज इस वक्त लागू नहीं होती। उन्होंने धारा 75 को पढ़ा . . .

श्री मधु लिमये : मैं ने मतदान की बात कही . . . .

अध्यक्ष महोदय : मतदान की बात अलग लेंगे। आर्टिकल 75 में है :

> "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister".

इस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कानून के मुताबिक न हो। जो कुछ किया गया है वह ठीक है। बाकी रही बात आर्टिकल 88 की जिस में मतदान की बात कही गई है। आर्टिकल 88 में बिल्कुल साफ है कि जो मिनिस्टर हाउस का मेम्बर नहीं है वह बहस में भी हिस्सा ले सकता है और बोल भी सकता है। सिर्फ अपना मत नहीं दे सकता। कार्रवाई अब भी जारी है। अगर फैसला हुआ कि यह मोशन नामंजूर कर दिया गया तो उस के बाद भी कार्रवाई होनी है, जिस से उन को हक है कि जो लोग राज्य सभा के मेम्बर हैं वह बराबर यहां मौजूद रहें, लेकिन वह मत नहीं दे सकेंगे।

श्री बागड़ी : अगर उन्होंने मत दे दिया तब आप क्या करेंगे ?

Mr. Speaker: The question is:

> "That the House do now adjourn".

Lok Sabha Divided:

Division No. 1] **AYES** **[8.55 hrs.**

Alvares, Shri
Aney, Dr. M.S.
Bade, Shri
Bagri, Shri
Banerjee, Shri S.M.
Bhattacharya, Shri Dinen
Bheel, Shri P.H.
Buta Singh, Shri
Chakravartty, Shrimati Renu
Chaudhuri, Shri Tridib Kumar
Daji, Shri
Deo, Shri P.K.
Gulshan, Shri
Gupta, Shri Indrajit
Himmatsinhji, Shri
Kachhaviya, Shri Hukam Chand
Kakkar, Shri Gauri Shanker
Kandappan, Shri S.
Kapur Singh Shri
Koya, Shri Mohammed
Kumaran, Shri M.K.
Limaye, Shri Madhu
Masani, Shri M.R.
Maurya, Shri
Misra, Dr. U.
Muhammad Ismail, Shri
Mukerjee, Shri H.N.
Nair, Shri N. Sreekantan
Nair, Shri Vasudevan
Pattnayak, Shri Kishen
Pottekkatt, Shri
Raghavan, Shri A.V.
Ranga, Shri
Reddi, Shri R.N.
Reddy, Shri Eswara
Reddy, Shri Narasimha
Reddy, Shri Yallamanda
Sen, Dr. Ranen
Shastri, Shri Prakash Vir
Singh, Shri J.B.
Singh, Shri Y.D.
Swamy, Shri Sivamurthi
Trivedi, Shri U.M.
Vishram Prasad, Shri
Warior, Shri
Yadav, Shri Ram Sewak
Yashpal Singh, Shri

NOES

Achuthan, Shri
Akkamma Devi, Shrimati
Alagesan, Shri
Alva, Shri A.S.
Alva, Shri Joachim
Ankineedu, Shri
Arunachalam, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajaj, Shri Kamalnayan
Balakrishnan, Shri
Barua, Shri R.
Basumatari, Shri
Bhagat, Shri B.R.
Bhagavati, Shri